न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	21.06.2022	01.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री कुन्ज बिहारी आगीवाल पुत्र श्री राधामोहन आगीवाल एफ.बी.ओ. मैसर्स गंगा नारायण एण्ड कम्पनी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक (राज0)। निवासी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक राज0।
2—श्री राजकुमार सिन्धी पुत्र श्री दौलत राम सिन्धी प्रोपरायटर मैसर्स राजकुमार किराणा स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज0। निवासी 9 व्यास मार्ग वार्ड नं0 11 मालपुरा जिला टोंक राज0।
3—श्रीमति राधा देवी पत्नि श्री वासुदेव खत्री प्रोपरायटर मैसर्स खत्री ऑर्गेनिक्स कोर्ट के सामने कचहरी मार्ग ब्यावर जिला अजमेंर राज0। निवासी प्लॉट नं0 212 आदर्श नगर अजमेंर रोड ब्यावर जिला अजमेंर राज0।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री राजेश्वर अग्रवाल।

:—निर्णय—: **दिनांक 01.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2021 को समय दोपहर 03:01 पी.एम पर मैसर्स गंगा नारायण एण्ड कम्पनी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक (राज0) पर पहुँचा। वहॉ पर श्री कुन्ज बिहारी आगीवाल पुत्र श्री राधामोहन आगीवाल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री कुन्ज बिहारी आगीवाल ने स्वंय को मैसर्स गंगा नारायण एण्ड कम्पनी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक (राज0) का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **तिल बर्फी राधिका अजब—गजब ब्राण्ड (Til Burfy Radhika Ajab-Gajab Brand)** 500—500 ग्राम के 8 नग मूल पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कुन्ज बिहारी आगीवाल को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री कुन्ज

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बिहारी आगीवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **तिल बर्फी राधिका अजब–गजब ब्राण्ड (Til Burfy Radhika Ajab-Gajab Brand)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 8 नग मूल पैक मे से 4 नग मूल पैक कुल 2 किलोग्राम, जिसके बैच नं0 आरटीबी463ए एवं पैंकिग की दिनांक 26.10.2021 थी, खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नें खरीदशुदा **तिल बर्फी राधिका अजब–गजब ब्राण्ड (Til Burfy Radhika Ajab-Gajab Brand)** 500–500 ग्राम के 4 नग मूल पैक ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर, 4 नग मूल पैक में से 500–500 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2974 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री कुन्ज बिहारी आगीवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2974 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री कुन्ज बिहारी आगीवाल विक्रेता मैसर्स गंगा नारायण एण्ड कम्पनी आजाद चौक मालपुरा जिला टोंक (राज0) नें मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स राजकुमार किराणा स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक का वारन्टी बिल नं0 190 दिनांक 30.10.2021 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3297 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0/1728/एक्ट/2021/1603 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय किया गया **तिल बर्फी राधिका अजब–गजब ब्राण्ड (Til Burfy Radhika Ajab-Gajab Brand) एफ.एस.एस.ए.की धारा 3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लघंन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जॉच रिर्पोट की प्रति अप्रार्थीगणों को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वांरटी होने के कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नें प्रबंधक मैसर्स राजकुमार किराणा स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक को पत्र प्रेषित कर फार्म नं0 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी नें डाक द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि0 व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ–साथ बतौर वारन्टी मैसर्स खत्री ऑर्गेनिक्स कोर्ट के सामने कचहरी मार्ग ब्यावर जिला अजमेंर का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 488 दिनांक 27.10.2021 की छायाप्रति प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। वांरटी व निर्माता होने के कारण आवेदक नें प्रबंधक मैसर्स खत्री ऑर्गेनिक्स कोर्ट के सामने कचहरी मार्ग ब्यावर जिला अजमेंर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं0 5 ए व नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया। जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी नें डाक द्वारा अपनी फर्म के दस्तावेज खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजि0 व प्रोपरायटर के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रेषित की। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री राजेश्वर अग्रवाल उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **तिल बर्फी राधिका अजब–गजब ब्राण्ड (Til Burfy Radhika Ajab-Gajab Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **तिल बर्फी राधिका अजब–गजब ब्राण्ड (Til Burfy Radhika Ajab-Gajab Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 2 पर शास्ति रूपये 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 पर शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0